FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0080 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 25/03/2026 10:41 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/03/2026 **Date To (दिनांक तक):** 23/03/2026
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:45 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 25/03/2026 **Time (समय):** 09:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 25/03/2026 10:41:40 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 70 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** KARAYALAY KSHETRIYE VAN ADHIKARI, RAISINGHNAGAR, JILA SHRIGANGANAGAR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SULKHAN SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GENDA SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1993 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	CHAK 5 K.K. BUTARA, PADAMPUR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	CHAK 5 K.K. BUTARA, PADAMPUR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Address (पता)**
1	ASHOK SINGH		पिता:LAXMAN SINGH	1. DUJOD,SIKAR,SIKAR,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	**Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))**
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		40,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 40,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर। विषयः-श्री अशोक सिंह रेंजर को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै सुलखन सिंह पुत्र श्री गेंदा सिंह जाति मजबीसिख उम्र 33 साल निवासी चक 5 के0के0 बूटरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला हॅू तथा लकड़ी ठेकेदारी का काम करता हॅू। फर्म भवानी स्टोन्स श्रीगंगानगर द्वारा उप वन सरंक्षक श्रीगंगानगर से पटिया माईनर 0-12-06 आरडी व सीसी माईनर 0-21.355 आरडी में ठूंठ निकालने का ठेका लिया हुआ है। फर्म के उक्त कार्य मेरे द्वारा करवाये जा रहे है तथा इसके लिये फर्म ने मुझे मुख्तयारेआम नियुक्त किया हुआ है। सीसी माईनर से ठूंठ निकालने का काम समय पर पूरा कर दिया था, जबकि पटिया माईनर का काम समय पर पूरा नही हुआ था, जिसकी उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर से अवधि बढाई गई थी, जो 19.03.26 तक है। उक्त दोनो माईनर वन विभाग की रेंज रायसिंहनगर के अधीन है, वहां का रेंजर अशोक सिंह है, जिसने उक्त दोनो काम की एवज में एक लाख रूपये कमीशन/रिश्वत की मांग की, जो मेरे द्वारा नही दी गई, जिस पर उसने टाईम पर चालान नही दिये, जिससे पटिया माईनर का काम टाईम पर नही हुआ और उसकी अवधि बढवानी पड़ी। अब अशोक सिंह रेंजर बार-बार एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है, रिश्वत नही देने पर उक्त दोनो कामो की एनओसी नही देने एवं फर्म को ब्लेक लिस्ट करवाने की धमकी दे रहा है। मैं मेरे जायज काम के बदले श्री अशोक सिंह रेंजर को रिश्वत नही देकर उसे रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हॅू। मेरी उससे कोई रंजिष नही है, ना ही कोई उधार का लेन देन है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी सुलखन सिंह निवासी चक 5 के0के0 बूटरा, तहसील पदमपुर मो0न0

कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 18.03.26 वक्त 12.30 पीएम पर परिवादी श्री सुलखन सिंह पुत्र श्री गेंदा सिंह जाति मजबीसिख उम्र 33 साल निवासी चक 5 के0के0 बूटरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ने स्वयं चौकी भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर-प्रथम पर उपस्थित होकर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, महोदय से मिलकर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन पुलिस निरीक्षक को चौकी भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर-प्रथम पर तलब किया जाकर परिवादी श्री सुलखन सिंह से मिलवाकर उनका प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। प्रार्थना में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय की हस्तलिपि में लिखा होना व उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मैं लकड़ी ठेकेदारी का काम करता हॅू। फर्म भवानी स्टोन्स श्रीगंगानगर द्वारा उप वन सरंक्षक श्रीगंगानगर से पटिया माईनर 0-12-06 आरडी व सीसी माईनर 0-21.355 आरडी में ठूंठ निकालने का ठेका लिया हुआ है। फर्म के उक्त कार्य मेरे द्वारा करवाये जा रहे है तथा इसके लिये फर्म ने मुझे मुख्तयारेआम नियुक्त किया हुआ है। सीसी माईनर से ठूंठ निकालने का काम समय पर पूरा कर दिया था, जबकि पटिया माईनर का काम समय पर पूरा नही हुआ था, जिसकी उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर से अवधि बढाई गई थी, जो 19.03.26 तक है। उक्त दोनो माईनर वन विभाग की रेंज रायसिंहनगर के अधीन है, वहां का रेंजर अशोक सिंह है, जिसने उक्त दोनो काम की एवज में एक लाख रूपये कमीशन/रिश्वत की मांग की, जो मेरे द्वारा नही दी गई, जिस पर उसने टाईम पर चालान नही दिये, जिससे पटिया माईनर का काम टाईम पर नही हुआ और उसकी अवधि बढवानी पड़ी। अब अशोक सिंह रेंजर बार-बार एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है, रिश्वत नही देने पर उक्त दोनो कामो की एनओसी नही देने एवं फर्म को ब्लेक लिस्ट करवाने की धमकी दे रहा है। मैं मेरे जायज काम के बदले श्री अशोक सिंह रेंजर को रिश्वत नही देकर उसे रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हॅू। परिवादी ने उप वन सरंक्षक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 7912 दिनांक 18.09.25 से पटिया माईनर की 0-12-06 आरडी एवं आदेश क्रमांक 7920 दिनांक 18.09.25 से सीसी माईनर की 0-21.355 आरडी में ठूंठ निकालने के फर्म भवानी स्टोन्स श्रीगंगानगर को जारी कार्यादेश एवं आदेश क्रमांक 836-42 दिनांक 18.02.26 से पटिया माईनर के कार्य की अवधि बढाने के आदेश की फोटो प्रतियां तथा फर्म भवानी स्टोन्स श्रीगंगानगर द्वारा उक्त कार्यो के लिये परिवादी सुलखन सिंह को मुख्तयारेआम करने के स्टाम्प पेपर तथा स्वंय के आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की, जो बाद अवलोकन परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने पर परिवादी श्री सुलखन सिंह को उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने के आरोपो का सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि आरोपी

अपने रायसिंहनगर स्थित कार्यालय में बैठता है, जिसके पास जाकर मै आज ही रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। इस पर परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर उपयोग में लेने की विधि समझाकर श्री अशीष कुमार कानि0 से आपसी परिचय करवाया गया। वक्त 3.00 पीएम पर श्री अशीष कुमार कानि0 को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर परिवादी श्री सुलखन सिंह के साथ रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु हिदायत कर रायसिंहनगर की ओर रवाना किया गया। वक्त 10.00 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा श्री अशीष कुमार कानि0 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मेरे पेश कर बताया कि मै व परिवादी सुलखन सिंह रायसिंहनगर स्थित वन विभाग के रेंज कार्यालय के पास गोपनीय स्थान पर पहूंचे, जहां परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु वन विभाग के रेंज कार्यालय की ओर रवाना कर मैं गोपनीय स्थान पर मुकिम हो गया था। परिवादी करीब 20 मिनट बाद रेंज कार्यालय से वापस आया एवं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पेष कर बताया कि मैं रेंज कार्यालय रायसिंहनगर में जाकर श्री अशोक सिंह रेंजर से मिला तो उसने मेरे से काम के सम्बधं में बातचीत करते हुये दोनो कामो के 25-25 हजार कुल 50,000/रूपये रिश्वत की मांग की, तब मेरे द्वारा कम करने का कहने पर 40,000/रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ है तथा रिश्वत राशि सोमवार को देना तय हुआ है। आज शाम हो चुकी है, यदि मै आपके साथ श्रीगंगानगर जाउंगा तो वापस आने का कोई साधन नही मिलेगा, आईंदा मैं ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को वही से रूख्सत करते हुये मै करीब 7.30 पीएम पर रायसिंहनगर से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया हॅू। जिस पर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर सुना गया तो परिवादी के उक्त तथ्यों की ताईद हुई। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। दिनांक 19.03.26 को परिवादी श्री सुलखन सिंह ने जरिये दूरभाष अवगत करवाया कि आरोपी से सोमवार को रिश्वत राशि देना तय हुआ है, जिस पर परिवादी को दिनांक 23.03.26 को सुबह 8.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय पर रिश्वत में दी जाने वाली राशि 40,000/रूपये सहित उपस्थित आने हेतु हिदायत की गई। वक्त 4.00 पीएम पर दिनांक 23.03.26 को कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने तथा दिनांक 20.03.26 से 22.03.26 तक राजपत्रित अवकाश होने के कारण अति.आयुक्त(प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग श्रीगंगानगर को दो स्वतन्त्र गवाह दिनांक 23.03.26 को सुबह 8.00 एएम पर पाबंद कर भिजवाने हेतु जरिये दूरभाष निवेदन किये जाने पर अति.आयुक्त(प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग श्रीगंगानगर द्वारा गवाह श्री राहूल क0स0 एवं श्री प्रहलाद मौर्य क0स0 को पाबंद किया गया। दिनांक 23.03.26 वक्त 8.00 एएम पर तलबिदा श्री राहूल क0स0 एवं श्री प्रहलाद मौर्य क0स0 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये है। जिनको गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप मे शामिल रहने बाबत पूछा तो दोनों ने अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। वक्त 8.05 एएम पर परिवादी श्री सुलखन सिंह ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया तथा दिनांक 18.03.26 के वक्त रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यों से अवगत करवाया। परिवादी ने बताया कि मै आरोपी को रिश्वत में देने वाली राशि 40,000/रूपये साथ लेकर आया हॅू। फिर परिवादी श्री सुलखन सिंह का दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री राहूल क0स0 एवं श्री प्रहलाद मौर्य क0स0से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्य एवं रिश्वत मांग सत्यापन बाबत बताया गया। दिनांक 18.03.26 को परिवादी श्री सुलखन सिंह ने आरोपी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु वार्ता कर वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था, जो मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखा है। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व परिवादी के कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन तैयार की गई। रिकार्ड वार्ता सुनकर वार्ता में परिवादी श्री सुलखन सिंह ने एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी अशोक सिंह की होना बताया। उक्त वार्ता में आरोपी व परिवादी द्वारा सतनाम सिंह नामक व्यक्ति का नाम लिया गया है, जिसके सम्बधं में पूछने पर परिवादी ने बताया कि सतनाम सिंह मेरा साथी है, जो मेरे साथ लकड़ी का काम करता है, मैने आरोपी अशोक सिंह को सतनाम मेरा पार्टनर होना बताया हुआ है, इसलिये वह मेरा पार्टनर मानते हुये उसका नाम ले रहा है, जबकि यह दोनो ही कार्य मेरे द्वारा ही करवाये जा रहे है। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता के कम्प्यूटर के जरिये श्री आशीष कुमार कानि. से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्ड में स्थापित मैंमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलचीट कर मार्क V अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित की गई। फिर निर्देशानुसार पर परिवादी श्री सुलखन सिंह ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रू के 80 नोट कुल 40,000 रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया। जिनका विवरण इस प्रकार है- 1. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 9RG 288132, 2. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 2EB 346244, 3. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 7NV 430582, 4. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 4KF 284422, 5. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 2AW 348205, 6. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 9PU 754790, 7. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 7AC 023627, 8. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 2TF 133310, 9. एक नोट पांच सौ रूपये का

भारतीय मुद्रा नं.- 6VT 146558, 10. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 0FQ 543625, 11. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 0QP 113457, 12. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 5BF 170240, 13. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 8NW 801040, 14. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 5KG 051508, 15. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 7PB 392347, 16. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 6MP 341669, 17. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 3AL 412497, 18. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 0SQ 188464, 19. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 1AW 458152, 20. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 6ET 470980, 21. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 9HM 475088, 22. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 3LW 464714, 23. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 0GN 943956, 24. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 0HT 412270, 25. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 2SP 855548, 26. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 1EA 025180, 27. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 3MV 779994, 28. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 1WT 896190, 29. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 8GT 757914, 30. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 9DE 497964, 31. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 6BC 549234, 32. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 5FT 397076, 33. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 4GK 647725, 34. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 0PC 963728, 35. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 7UW 133801, 36. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 1ES 757639, 37. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 2BH 602226, 38. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 7TV 304398, 39. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 6QL 268855, 40. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 1BA 787955, 41. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 6VN 935719, 42. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 8NR 475086, 43. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 1MK 292370, 44. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 8RW 004202, 45. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 2MH 396512, 46. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 8LR 336098, 47. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 4KT 679763, 48. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 6CE 250068, 49. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 5DC 999627, 50. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 1ML 732858, 51. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 2CK 058583, 52. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 6VN 299261, 53. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 3SQ 029629, 54. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 7BN 049296, 55. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 4PT 744729, 56. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 3VS 527426, 57. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 9FL 630296, 58. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 5NA 324395, 59. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 1QU 588368, 60. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 9HL 352201, 61. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 5TW 607531, 62. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 4KM 443980, 63. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 1EM 797175, 64. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 0KC 918979, 65. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 2HV 262007, 66. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 5ED 476136, 67. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 9FN 088269, 68. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 8EP 282428, 69. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 1CR 975336, 70. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 9AH 600414, 71. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 5SG 409612, 72. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 7UL 337102, 73. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 0TD 185175, 74. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 8CE 177823, 75. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 7AW 837408, 76. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 7KK 456021, 77. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 7EU 834833, 78. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 4AK 950780, 79. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.- 5EM 153240, 80. एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा नं.-5SR 288402 उक्त प्रस्तुत नोटो को मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी एवं गवाहान को दिखाकर श्री शिवदत कानि0 से फिनालपथलीन पाउडर की शीशी मालखाना से मंगवाकर उक्त सभी नोटो पर फिनालपथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। फिर गवाह श्री प्रहलाद मौर्य से परिवादी श्री सुलखन सिंह की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ो के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 40,000/- रूपये के नोटो को श्री शिवदत कानि0 के जरिये परिवादी के पहने कुर्ते की साईड की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये कि वह आरोपी की मांग से पूर्व राशि को हाथ नही लगाये तथा आरोपी के मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपी को देवे, आरोपी को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर अथवा मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बरो पर मिसड् कॉल कर रिश्वत राशि देने का ईशारा करें।

परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखे जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्री शिवदत कानि0 के हाथो की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिंकवाया, डिस्पोजेबल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटो पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। फिर श्री शिवदत कानि0 के हाथ को साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे परिवादी व आरोपीके नजदीक रहकर सम्भावित रिश्वत लेन देन को देखने व मौका की वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उद्देश्य से चौकी हाजा का डिजीटल वाइॅस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर परिवादी श्रीसुलखन सिंह को सुपुर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। वक्त 10.45 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सुलखन सिंह, स्वतन्त्र गवाह श्री राहूल क0स0 एवं श्री प्रहलाद मौर्य क0स0 एवं ब्यूरो स्टाफ के श्री जगदीश राय मु0आ0, श्री राजेश कुमार मु0आ0, श्री संजीव कुमार कानि0, श्री भवानी सिंह कानि0, श्री आशीष कुमार कानि0, श्री भंवरराम कानि0 एवं श्री पंकज शर्मा कानि0 ड्रा0 मय लेपटॉप-प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स साथ लेकर सरकारी बोलेरो एवं निजी कार से गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना होकर वक्त 11.45 पीएम पर पदमपुर-रायसिंहनगर रोड़ स्थित गांव जलौकी के नजदीक गोपनीय स्थान पर पहूंचा, जहां आरोपी अशोक सिंह के मोबाईल नम्बर पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से वार्ता करवायी गई तो आरोपी अशोक सिंह ने डीएफओ कार्यालय श्रीगंगानगर में मिटींग में जाना व शाम को करीब 4-5 बजे वापस आना बताया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के गोपनीय स्थान नजदीक पदमपुर पर मुकिम हुआ। वक्त 04.15 पीएम पर जरिये सूत्र ज्ञात हुआ कि आरोपी अशोक सिंह श्रीगंगानगर से रायसिंहनगर की ओर आ रहा है, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री सुलखन सिंह एवं हमराहीयान के गोपनीय स्थान नजदीक पदमपुर से रवाना होकर वक्त 05.15 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रायसिंहनगर के चक 11 टीके स्थित कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, रायसिंहनगर के नजदीक पहूंच वाहनो को गोपनीय स्थान पर रूकवाकर परिवादी श्री सुलखन सिंह को आरोपी से सम्पर्क करने कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, रायसिंहनगर की ओर रवाना किया जाकर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 5.45 पीएम पर परिवादी श्री सुलखन सिंह ने कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, रायसिंहनगर के परिसर के अन्दर से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिसड् कॉल का निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के निजी कार व सरकारी वाहन बोलेरो से अविलम्ब परिवादी श्री सुलखन सिंह के पास पहूंचा तो परिवादी ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि अशोक सिंह रेंजर ने अपने ऑफिस के पीछे बने वन जीव रेस्क्यू सेंटर में ले जाकर मेरे से रिश्वत राशि के 40,000 रूपये सफेद रूमाल में रखवा लिये तथा वह अपने ऑफिस के पीछले गेट से अन्दर चला गया है। जिस पर परिवादी सुलखन सिंह को साथ लेकर आरोपी के ऑफिस भवन में प्रवेश कर स्टाफ रूम से होते हुये पीछे की ओर गये तो एक युवक रूमाल से हाथ पोंछता हुआ खड़ा मिला, जिसे परिवादी ने ईशारा कर अशोक सिंह रेंजर होना बताया। जिस पर उस युवक को ब्यूरो स्टाफ से काबू करवाया गया, तो वह घबरा गया, जिसे तसल्ली दी गई। उस युवक को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अशोक सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत उम्र 42 साल निवासी गांव दूजोद तहसील व जिला सीकर हाल निवास किराये का मकान वार्ड न. 8, चक 23 पीएस रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर होना बताया। तत्पश्चात आरोपी के हाथ से नीचे गिरी रूमाल को गवाह राहूल से उठवाकर उसके पास रहने दिया। फिर अशोक सिंह से परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के सम्बधं में पूछा तो उसने बताया कि साहब श्री सुलखन सिंह से मैने रूपये उधार लिये थे। तब आरोपी से पूछा गया कि वह रूपये कहां रखे है, तो आरोपी अशोक सिंह ने ईशारा कर सामने पड़े एक प्लास्टिक के गट्टे में रखे हुये होना बताया। तब गवाह प्रहलाद मौर्य से उक्त प्लास्टिक कट्टा के मूंह को खोलकर चैक करवाया तो उसमें कांच की पड़ी खाली बोतले रखी होना, जिसके साईड में 500-500 रूपये के नोटो की गड्डी होना बताया, जिस पर उक्त नोटो को गवाह श्री प्रहलाद मोर्य उठवाये जाकर उसी के पास सुरक्षित रहने दिये गये। तब आरोपी अशोक सिंह से उक्त रिश्वत राशि प्लास्टिक कट्टे में रखने के सम्बधं में पूछा तो वह चुप रहा। फिर मौका पर परिवादी सुलखन सिंह ने स्वतः ही रूबरू गवाहान बताया कि फर्म भवानी स्टोन्स श्रीगंगानगर द्वारा उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर से पटिया माईनर 0-12-06 आरडी व सीसी माईनर 0-21.355 आरडी में ठूंठ निकालने का ठेका लिया हुआ है। फर्म के उक्त कार्य मेरे द्वारा करवाये जा रहे है तथा इसके लिये फर्म ने मुझे मुख्तयारेआम नियुक्त किया हुआ है। सीसी माईनर से ठूंठ निकालने का काम समय पर पूरा कर दिया था, जबकि पटिया माईनर का काम समय पर पूरा नही हुआ था, जिसकी उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर से अवधि बढाई गई थी, जो 19.03.26 तक थी। उक्त दोनो माईनर वन विभाग की रेंज रायसिंहनगर के अधीन है, वहां का रेंजर अशोक सिंह है, जिसने उक्त दोनो काम की एवज में एक लाख रूपये कमीशन रिश्वत की मांग की, जो मेरे द्वारा नही दी गई, जिस पर उसने टाईम पर चालान नही दिये, जिससे पटिया माईनर का काम टाईम पर नही हुआ और उसकी अवधि बढवानी पड़ी। अब अशोक सिंह रेंजर बार-बार एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है, रिश्वत नही देने पर उक्त दोनो कामो की एनओसी नही देने एवं फर्म को

ब्लेक लिस्ट करवाने की धमकी दे रहा था। जिस पर मेरे द्वारा 18.03.26 को आपको दिये गये प्रार्थना पत्र पर आप द्वारा करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन में अशोक सिंह रेंन्जर ने मेरे से दोनो कार्यो के 25-25 हजार कुल 50,000 रूपये रिश्वत की मांग की, तब मेरे द्वारा कम करने का कहने पर 40,000 रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हुये थे, उक्त मांग अनुसार रिश्वत राशि के 40,000 रूपये मैने अभी अभी अशोक सिंह रेंजर को दी है, जो इन्होने रूमाल में रखवा लिये थे। अशोक सिंह रेजर झूठ बोल रहा है, मैने ना तो कभी अशोक सिंह से रूपये उधार लिये है व ना ही मैने इन्हे उधार दिये है, आज रिश्वत की राशि के 40,000/रूपये दिये है। उक्त घटनाक्रम से परिवादी व आरोपी अशोक सिंह रेंजर के मध्य रिश्वत राशि का आदान-प्रदान होने पर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य की पुष्टि हेतु आरोपी के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी अशोक सिंह के दोनो हाथो आदि की धुलाई हेतु सरकारी गाड़ी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो नये पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास लेकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी अशोक सिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का आर-1, आर-2 अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया । फिर इसी विधि अनुसार दूसरे गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में आरोपी अशोक सिंह के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का एल-1, एल-2 अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर रूमाल की धुलवाई के लिये एक अलग पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाकर अशोक सिंह रेंजर द्वारा नीचे गिरवायी गई सफेद रूमाल जो गवाह राहूल के पास है को धोवन में डूबोया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का एच-1, एच-2 अंकित कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर धुलाई के पश्चात रूमाल को सुखाकर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में डालकर सील चिट मोहर किया गया। फिर गवाह श्री प्रहलाद मौर्य के पास सुरक्षित रखी बरामदशुदा राशि का मिलान दूसरे गवाह श्री राहूल को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उसमें अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने पर दोनो गवाहान ने 500-500 रूपये के 80 नोट कुल 40,000 रूपये हूबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। उक्त बरामदशुदा राशि के नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर रिश्वत राशि बरामदगी स्थान प्लास्टिक कट्टा की धुलवाई के लिये एक अलग पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाया गया। फिर प्लास्टिक कट्टा में से बोतले निकालकर प्लास्टिक कट्टा के रिश्वत राशि बरामदगी वाले स्थान को एक कपड़े की चिंदी की सहायता से घोल में डूबो-डूबो कर रिश्वत राशि वाले स्थान को पोंछ-पोंछ कर पुनः घोल में डूबोकर धोया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का के-1, के-2 अंकित कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर धुलाई के पश्चात प्लास्टिक कट्टा को सुखाकर एक कपड़े की थैली में डालकर सील चिट मोहर किया गया। कपड़े की चिंदी को सुखाकर एक कागज के पीले लिफाफा में डालकर सील चिट मोहर किया गया। तत्पष्चात आरोपी अशोक सिंह से परिवादी के कार्य के सम्बधं में पूछा तो आरोपी ने बताया कि कि परिवादी सुलखन सिंह द्वारा वन विभाग रायसिंहनगर रेंज के अधीन आने वाली सीसी माईनर एवं पटिया माईनर के ठूंठ निकासी का कार्य करवाया जा रहा था, जो अभी दिनांक 19.03.26 को पुरा हो चुका है, उक्त कार्यो की टी0पी0 सम्बधिंत साईट इंचार्ज श्री अजयपाल शर्मा सहायक वन पाल व श्री विजय सिंह सहायक वन पाल द्वारा जारी की गई है, जिनकी कार्यालय प्रति उन्ही के पास है। उक्त कार्यो की एन0ओ0सी0 जारी होना शेष है, जो उप वन संरक्षक कार्यालय से आदेश प्राप्त होने पर मेरे कार्यालय से जारी की जायेगी। उक्त कार्यो के टेण्डर से सम्बधिंत दस्तावेज कार्यालय उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर में है। वक्त 6.30 पीएम पर घटनास्थल का नक्षा मौका एवं हालात मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात आरोपी अशोक सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर को गिरफ्तार करने से सम्बधिंत फर्द कारण गिरफ्तारी मुर्तिब कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब की गई। फिर अनवान सदर में घटनास्थल कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, रायसिंहनगर पर ट्रेप कार्रवाई के दौरान मन पुलिस निरीक्षक द्वारा मोबाईल से हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि तथा आरोपी से पूछताछ की विडियोग्राफी मोबाईल की Internal Memory में की गई, मोबाईल को लेपटॉप से कनेक्ट कर श्री आशीष कुमार कानि0 से उक्त विडियोग्राफी को दो अलग अलग पैन ड्राईव में कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील मोहर चिट कर मार्क वी-1 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया दुसरे पैन ड्राईव पर मार्क वी-2 अंकित को अन्वेषणार्थ खुला रखा गया। वक्त 8.30 पीएम पर परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर रूबरू गवाहान, सह परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की लेपटॉप से श्री आशीष कुमार कानि0 से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे़ की थैली में सील

मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉइस रिकॉर्ड में स्थापित मैंमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफैद कपड़े की थैली में सीलचीट कर मार्क 'T' अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के मैमोरी कार्ड की HASH VALUE निकालकर फर्द में अंकित की गई। फिर ट्रेप कार्रवाई विरूद्ध अशोक सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर में माल वजह सबूतो को, जिस पीतल की सील न. 56 से सील मोहर चिट किया गया था, उस पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। वक्त 10.30 पीएम पर मौका की कार्यवाही सम्पन्न होने पर परिवादी सुलखन सिंह को मौका से आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया जाकर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के गिरफ्तारशुदा आरोपी अशोक सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं जब्तशुदा एवं बरामदशुदा वजह सबूत आदि के सरकारी बोलेरो गाड़ी एवं निजी कार से रवाना शुदा मन पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी अशोक सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी का राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रात्रि सुरक्षा हेतु पुलिस थाना पुरानी आबादी श्रीगंगानगर की हवालात में जरिये तहरीर जमा करवाया जाकर मय हमराहीयान दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहुंचा। मौके से जब्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत आठ शील्डशुदा धोवनो की शिशियां, 40,000/रू रिश्वत राशि, शील्ड शुदा रूमाल व प्लास्टिक कट्टा, चिंदी, शील्डशुदा मैमोरी कार्ड, शील्डशुदा पैन ड्राईव आदि श्री राजेश कुमार मु0आ0 के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये व दोनो गवाहान आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री सुलखन सिंह पुत्र श्री गेंदा सिंह जाति मजबीसिख उम्र 33 साल निवासी चक 5 के0के0 बूटरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर लकड़ी ठेकेदारी का काम करता हॅू। फर्म भवानी स्टोन्स श्रीगंगानगर द्वारा उप वन सरंक्षक श्रीगंगानगर से पटिया माईनर 0-12-06 आरडी व सीसी माईनर 0-21.355 आरडी में ठूंठ निकालने का ठेका लिया हुआ है। फर्म के उक्त कार्य परिवादी द्वारा करवाये जा रहे है तथा इसके लिये फर्म ने परिवादी को मुख्तयारेआम नियुक्त किया हुआ है। सीसी माईनर से ठूंठ निकालने का काम समय पर पूरा कर दिया था, जबकि पटिया माईनर का काम समय पर पूरा नही हुआ था, जिसकी उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर से अवधि बढाई गई थी, जो 19.03.26 तक है। उक्त दोनो माईनर वन विभाग की रेंज रायसिंहनगर के अधीन है, वहां का रेंजर अशोक सिंह है, जिसने उक्त दोनो काम की एवज में परिवादी सुलखन सिंह से एक लाख रूपये कमीशन रिश्वत की मांग की, जो परिवादी द्वारा नही देने पर उसने टाईम पर चालान नही दिये, जिससे पटिया माईनर का काम टाईम पर नही हुआ और उसकी अवधि बढवानी पड़ी। अब अशोक सिंह रेंजर परिवादी से बार-बार एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है, रिश्वत नही देने पर उक्त दोनो कामो की एनओसी नही देने एवं फर्म को ब्लेक लिस्ट करवाने की धमकी दे रहा है। जिस पर परिवादी द्वारा ब्यूरो में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.26 पर करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन में आरोपी श्री अशोक सिंह रेंजर द्वारा परिवादी से दोनो कामो के 25-25 हजार कुल 50,000 रूपये रिश्वत की मांग की, तब परिवादी द्वारा कम करने का कहने पर 40,000 रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ। उक्त रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 23.03.26 को परिवादी से आरोपी अशोक सिंह द्वारा अपने कार्यालय में 40,000 रूपये सफेद रूमाल में रखवाना व शक होने पर एक प्लास्टिक के गट्टे में पड़े कबाड़ में रखना, जहां से रिश्वत राशि बरामद होना आरोपी के हाथो एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थान प्लास्टिक कट्टा की धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग मटमैला व रूमाल की धुलाई से प्राप्त धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त होना, परिवादी की फर्म के करवाये गये उक्त कार्यो की एनओसी जारी करने सम्बधी कार्य पेण्डिग होना, वक्त सत्यापन व वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत की मांग व रिश्वत प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी अशोक सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा उक्त पद का लोक सेवक होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर परिवादी श्री सुलखन सिंह से 40,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधन 2018 का घटित होना पाये जाने पर आरोपी अशोक सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत उम्र 42 साल निवासी गांव दूजोद तहसील व जिला सीकर हाल निवास किराये का मकान वार्ड न. 8, चक 23 पीएस रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर को प्रेषित है। (राजेन्द्र कुमार) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अशोक सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत उम्र 42 साल निवासी गांव दूजोद तहसील व जिला सीकर हाल निवास किराये का मकान वार्ड न. 8, चक 23 पीएस रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती सुधा पालावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

हनुमानगढ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 815 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 548-51 दिनांक 25.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर 2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज बीकानेर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम । उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SUDHA PALAWAT **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 25/03/2026 11:15:32

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1984				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)